कम्प्यूटर पत्र संख्या- दिनांक

पत्र संख्या-न्याय-2/वापसी/-/2012-13/ 1213012 /वाणिज्य कर

कार्यालय कमिश्नर, वाणिज्य कर,उत्तर प्रदेश

(वाद अनुभाग)

लखनऊ::दिनांक:मई :: 22 :: 2012

1- समस्त जोनल एडीशनल कमिश्नर, वाणिज्य कर,

2- समस्त ज्वाइन्ट कमिश्नर, वाणिज्य कर,

3- समस्त करनिर्धारण अधिकारी, वाणिज्य कर,

4- समस्त आहरण वितरण अधिकारी, वाणिज्य कर,

उत्तर प्रदेश।

विषय:- रिफण्ड रजिस्टर के रख-रखाव तथा व्यापारियों की वापसी योग्य धनराशि का रिफण्ड दिये जाने के साथ ब्याज दिये जाने के सम्बन्ध में।

उपर्युक्त विषयक प्रकरण में मुख्यालय के पत्र संख्या-न्याय-2-वापसी-सामान्य(85-86)-7568 / बिक्रीकर दिनांक 04-03-86 द्वारा मुख्यालय के परिपत्र संख्या-विधि-165/77 दिनांक 12-10-77 तथा पत्र संख्या-विधि-187/77 दिनांक 09-12-77 सन्दर्भित करते हुए यह निर्देश दिये गये थे कि जिन मामलों में व्यापारी को देय धनराशि की वापसी विलम्ब से हुई हो उनमें सम्बन्धित व्यापारियों को ब्याज देने की कार्यवाही तत्परता से की जाये। पुन: मुख्यालय के परिपत्र संख्या-5996 दिनांक 08-01-87 द्वारा यह निर्देश निर्गत किये गये कि ब्याज देना एक विधिक बाध्यता है। अत: विलम्ब से वापसी की धनराशि के साथ सम्बन्धित व्यापारियों को ब्याज अवश्य दिया जाये। इसी क्रम में मुख्यालय के पत्र संख्या-न्याय-2-वापसी/ 2001-02/1484/परिपत्र संख्या-215 दिनांक 08-08-2001 तथा परिपत्र संख्या-सी0टी0टी0/निरी0अनु0/10-बी-शिकायत-10(04-05)/कानपुर/1086/व्यापार कर, दिनांक 10-11-2004, कम्प्यूटर पत्र संख्या-607/24-11-2004 तथा पत्र संख्या-न्याय-2-वापसी रिफण्ड-04-05/2038/व्यापार कर, दिनांक 09-12-2004 द्वारा व्यापारियों की वापसी योग्य धनराशि समय से दिये जाने के सम्बन्ध में पुन: निर्देश निर्गत किये गये थे।

मुख्यालय के पत्र संख्या-न्याय-5(1)/रिट-गाजियाबाद-परिपत्र/2005-06/335/ व्यापार कर, दिनांक 12-5-05 द्वारा पुन: यह निर्देश निर्गते किये गये कि यह सुनिश्चित किया जाय कि देय रिफण्ड निर्धारित समयावधि के अन्तर्गत ही दे दिया जाये। यदि किसी प्रकरण में विलम्ब होता है तो रिफण्ड के साथ दी जाने वाली ब्याज की धनराशि से भी मुख्यालय को अवगत कराया जाय, ताकि इसके लिए मुख्यालय से बजट की व्यवस्था कराने के उपरान्त अधिकतम एक माह के अन्दर ब्याज का भुगतान सुनिश्चित किया जाय।

ज्ञातव्य है कि प्रदेश में मूल्य संवर्द्धित कर प्रणाली लागू होने के उपरान्त उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्द्धित कर नियमावली-2008 के नियम-51 के अन्तर्गत यह स्पष्ट व्यवस्था है कि रिफण्ड की धनराशि तथा इस सम्बन्ध में देय ब्याज की धनराशि का भुगतान अधिनियम के अन्तर्गत कर की प्राप्ति के रिसीट हैड से किया जायेगा। अत: इसके लिए अब पृथक से कोई व्यवस्था किया जाना अपेक्षित नही है।

उपरोक्त निर्देशों के होते हुए भी रिफण्ड की वापसी समय से न किये जाने तथा विलम्ब की स्थिति में ब्याज न दिये जाने की शिकायते मुख्यालय पर निरन्तरता से प्राप्त हो रही हैं और व्यापारियों को निर्धारित समयावधि के अन्तर्गत रिफण्ड न दिये जाने के कारण मा0 उच्च न्यायालय में रिट याचिकायें दायर की जा रही हैं और कुछ प्रकरणों में मा0 न्यायालय द्वारा विभाग के विरुद्ध कास्ट एवार्ड भी किया गया है। ऐसी स्थिति उत्पन्न होने से यह निष्कर्ष निकलता है कि कतिपय अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा रिफण्ड के विषय में प्रदत्त प्राविधानों के अनुरुप कार्यवाही नही की जा रही है तथा इस विषय में समय समय पर जारी निर्देशों का अधिकारियों द्वारा उल्लघंन किया जा रहा है। अधिकारियों को स्वयंमेव रिफण्ड की कार्यवाही नियत समय के अन्दर सम्पादित करना चाहिए।

उपर्युक्त से ऐसा प्रतीत होता है कि अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा मुख्यालय के निर्देशों का अनुपालन नही किया जा रहा है। साथ ही साथ उच्चाधिकारियों द्वारा भी रिफण्ड के मामलों की निगरानी नही की जा रही है जो कदापि क्षम्य नही है।

अत: निर्देश दिये जाते हैं कि अधिकारी नियमानुसार समयबद्धता से वापसी योग्य धनराशि का रिफण्ड दिया जाना सुनिश्चित करें तथा यदि विशेष कारणों से रिफण्ड देने में विलम्ब होता है तो व्यापार कर अधिनियम के अन्तर्गत देय रिफण्ड के सम्बन्ध में ब्याज की धनराशि की व्यवस्था कराते हुए तथा उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्द्धित कर अधिनियम के अन्तर्गत देय रिफण्ड के सम्बन्ध में नियम-51 के अनुसार ब्याज सहित रिफण्ड दिया जाना सुनिश्चित करें । यदि विलम्ब के समुचित कारण होगें और ऐसे कारणों के होते हुए ही व्यापारी को रिफण्ड के साथ ब्याज प्राप्त कराया जाता है तो ऐसे मामलों का गुण-दोष के आधार पर परीक्षण करके सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारी के विरुद्ध कोई कार्यवाही नही की जायेगी, परन्तु जिन प्रकरणों से यह स्पष्ट होगा कि कार्य के प्रति उदासीनता के कारण अथवा नैग्लिजेन्टली (Negligently) कार्य करने के कारण रिफण्ड में विलम्ब हुआ है और फलत: ब्याज की देयता हुई है, तब सम्बन्धित अधिकारी / कर्मचारी के विरुद्ध यथास्थिति नियमानुसार कार्यवाही निष्पादित की जायेगी ।

रिफण्ड के प्रकरणों की समुचित मानीटरिंग के उद्देश्य से प्रत्येक खण्ड कार्यालय में तथा आहरण-वितरण अधिकारी के कार्यालय में रिफण्ड के प्रकरणों से सम्बन्धित विवरणों को अंकित किये जाने के लिए रिफण्ड रजिस्टर का प्रारुप-अ तथा प्रारुप-ब संलग्न कर इस निर्देश के साथ प्रेषित किया जा रहा है कि सम्बन्धित कार्यालयों में उक्त प्रारुप में रिफण्ड रजिस्टर रखा जाय । इन अभिलेखों में निर्धारित प्रारुप में नियमित प्रविष्टियाँ अंकित कराना सुनिश्चित करें । साथ ही मुख्यालय द्वारा जारी परिपत्र संख्या-न्याय-2-वापसी-2011-12/ 2477 / वाणिज्यकर (न्याय अनुभाग) दिनांक 29-3-2012 के अनुरुप निर्धारित प्रारुप में सूचना प्रत्येक माह की मासिक बैठक के पूर्व उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें ।

उपरोक्त विषयक कार्यवाही के सम्बन्ध में सघन मानीटरिंग का दायित्व सम्बन्धित ज्वाइन्ट कमिश्नर(कार्यपालक) का होगा । जोन स्तर पर ऐसे मामलों में पर्यवेक्षण का उत्तरदायित्व जोनल एडीशनल कमिश्नर का होगा ।

उक्त निर्देशों का अनुपालन निष्ठा पूर्वक सुनिश्चित किया जायं ।

<u>सलग्नक-रिफण्ड रजिस्टर का प्रारुप-अ तथा प्रारुप-ब</u>

(हिमांशु कुमार)
कमिश्नर, वाणिज्य कर,
उ0प्र0, लखनऊ ।

<u>पृ0पत्र संख्या व दिनांक उक्त ।</u>

<u>प्रतिलिपि</u>-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- प्रमुख सचिव, कर एवं निबन्धन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ ।
2- संयुक्त सचिव, कर एवं निबन्धन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ ।
3- एडीशनल कमिश्नर(लेखा) वाणिजय कर, मुख्यालय, लखनऊ ।
4- अपर निदेशक, वाणिज्य कर प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान, गोमतीनगर, लखनऊ ।
5- समस्त अनुभाग अधिकारी, वाणिज्य कर, मुख्यालय ।
6- न्याय अनुभाग, वाणिज्य कर मुख्यालय को दस प्रतियॉ / मैनुअल अनुभाग को पॉच प्रतियॉ अतिरिक्त ।

एडीशनल कमिश्नर(विधि) वाणिज्य कर,
उ0प्र0, लखनऊ ।

Format of the Refund Register to be maintained in the Office of the Assessing Authority: (A)

Sl. No.	TIN of the Dealer	Name & Address of the Dealer	Tax Period /Assessment Year	Date of Filing of Application by the Exporter / Date of filing of Form-XLVIII	Order By which the refund has become due				Section/Rule of the concerned Act under which the order relating to column-6 has been passed	Refundable Amount		Date of sending Form-XXXIII To the D.D.O.	Refund Details	
					Designation of the Assessing Authority	Date of Order	Appellate/ Revising Authority /HighCourt /Supreme Court / Any Other Authority	Date of receipt of the order related to Column 6(c)		Excess ITC	Other than excess ITC		Date of receipt of refund voucher by the Dealer	Cheque No. and Date by which the refund had been given
1	2	3	4	5	6(a)	6(b)	6(c)	6(d)	7	8(a)	8(b)	9	10(a)	10(b)

Note: The entries relating to all the orders by which the refund is due, are to be initially made in column -1 to 7 .Subseqently the entries in column 8 to 10 are to be made while issuing the refund .

Format of the Refund Register To be maintained in the Office of the D.D.O. :(B)

Sl. No.	Designation of the Office from whom Form-XXXIII has been received	TIN of the Dealer to whom the refund is to be made	Name of the concerned Dealer mentioned in Form-XXXIII	Tax Period /Assessment Year to which the Refund relates	Date of receipt of Form-XXXIII	Amount of Refund	Date of sending the Form-XXXIII alongwith voucher to the Treasury	Date of receipt of Cheque from the Treasury	Cheque No. & Date	Date on which the Cheque has been sent to the concerned Bank
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

कर निर्धारण अधिकारी के कार्यालय में रखे जाने वाले रिफण्ड रजिस्टर का प्रारूप :(अ)

क्र0 सं0	व्यापारी का TIN	व्यापारी का नाम व पता	टैक्स पीरियड/ करनिर्धारण वर्ष	निर्यातक द्वारा रिफण्ड हेतु दिए गए प्रार्थना पत्र का दिनांक /फार्म-XLVIII प्रस्तुत करने का दिनांक	आदेश का विवरण जिससे रिफण्ड देय है				संबंधित अधिनियम की धारा/नियम जिसके अन्तर्गत कालम-6 का आदेश पारित है।	रिफण्ड योग्य धनराशि		फार्म-XXXIII आहरण वितरण अधिकारी को प्रेषित करने का दिनांक	रिफण्ड के विवरण	
					क0 नि0 अधिकारी का पदनाम /	आदेश का दिनांक	अपीलीय अधिकारी / रिवाइजिंग ऑथोरिटी /उच्च न्यायालय / सर्वोच्च न्यायालय / कोई अन्य आथोरिटी	का लम 6(स) से संबंधि त आदेश की प्राप्ति का दिनांक		अधिक आई.टी.सी. की राशि	आई.टी.सी. से पृथक अधिक जमा की राशि		व्यापारी द्वारा रिफण्ड वाउचर प्राप्त करने का दिनांक	चैक नं0 / दिनांक जिससे व्यापारी को रिफण्ड दिया गया
1	2	3	4	5	6(अ)	6(ब)	6(स)	6(द)	7	8(अ)	8(ब)	9	10(अ)	10(ब)

नोट : सभी आदेश जिनके प्रतिफलन में रिफण्ड देय है , से संबंधित प्रविष्टियाँ पहले कालम-1 से 7 तक की जानी है। कालम 8 से कालम 10 की प्रविष्टियां अग्रेत्तर रिफण्ड देते समय की जानी हैं।

आहरण वितरण अधिकारी के कार्यालय में रखे जाने वाले रिफण्ड रजिस्टर का प्रारूप : (ब)

क्र0सं0	अधिकारी का पदनाम जिससे फार्म-XXXIII प्राप्त हुआ है।	डीलर का TIN जिसे रिफण्ड देय है	फार्म-XXXIII में वर्णित डीलर का नाम व पता	रिफण्ड से संबंधित टैक्स पीरियड/ कर निर्धारण वर्ष	फार्म-XXXIII प्राप्त होने का दिनांक	रिफण्ड की राशि	ट्रेजरी को वाउचर सहित फार्म-XXXIII भेजने का दिनाँक	ट्रेजरी से चैक प्राप्त होने का दिनांक	चैक नं0 / दिनांक	संबंधित बैंक को व्यापारी को भुगतान हेतु चैक भेजने का दिनांक
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11